

14-5-2017 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। वकील अपीलार्थी का मुद्दा बयानही हेतु समय चाहते हैं, प्रॉक्सिम अक्सर देवा जग है। कस्ते कांमु कार्यवाही फावली से 20-5-17 को पेश हो।

14-5-2017 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। वकील अपीलार्थी का मुद्दा बयानही हेतु पुनः अवसर चाहते हैं। न्यायस्थ से प्रॉक्सिम अवसर दिया जाता है। पत्रादि 11-5-17 को पेश।

14-5-2017 वकील उमयपक्ष उपस्थित है। प्रीमान 5.00 का भ्रमण पर है। पत्रावली दि. 19-5-17 को राजस्व हेतु मलेमपुर पर पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे।

1474-87

13-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम मलेमपुर पर पेश हुई। अपीलार्थी किशन क रेस्पॉन्डेंट नं० 1, 2, 5 व रेस्पॉन्डेंट का उच्च प्राथम्य उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रस्तुत प्रकरण सुनवाई हेतु तहसीलदारजी को भिजवाने पर हम पक्षकारान सहमत हैं।

प्रस्तुत राजीनामा पर पक्षकारों को सुना व समझाया गया। पक्षकारों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है, अपीलार्थी नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार गांगपुर सिटी को प्रेषित किया जाता है। किस्तुत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल नं० 30/17 होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तहसीलदार दारखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा) (राजेश कुमार शर्मा) (काबूलाल जार)  
 सहायक सहायक अध्यक्ष  
 सदस्य सदस्य  
 लोक अदालत

प्रो. वि. शर्मा

सौ. दान

प्रो. सु. कलाल

प्र. ध. शर्मा

कहना है  
 गई है।  
 बमाने को  
 ही हेतु पत्रा

वादी हेतु  
 तः  
 9-5-17

का

प्र. कलेक्टर